

प्रेषक,

अमित कुमार सिन्हा,
विशेष प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
उत्तराखण्ड।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग

देहरादून दिनांक : अप्रैल, 2023

विषय:— वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें के अन्तर्गत युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल निदेशालय एवं जनपदों में कार्यरत कार्मिकों के वेतनआदि तथा अन्य मानक मदों में प्राविधानित बजट को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-08/दो-लेखा/4047/2024-25 दिनांक 03.04.2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2204 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **रु0 242352 हजार (रूपये चौबीस करोड़ तेईस लाख बावन हजार मात्र)** की धनराशि **संलग्नक 'क'** के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

2— उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जा रही है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-201358/09(150)2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3— मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय **हस्तपुस्तिका** के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

4— उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

5— व्यय बजट एवं परिव्यय की सीमान्तर्गत रहते हुए ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक-2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण-00 के नाम **संलग्नक-'क'** के विवरणानुसार डाला जायेगा।
संलग्नक:—यथोक्त।

भवदीय,

(अमित कुमार सिन्हा)
विशेष प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या— /VI-4 / 2024-51(07)2023 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, युवा कल्याण एवं प्रा0र0द0 को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(धीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव

शासनादेश संख्या- /VI-4 / 2023-51(05)2022 टी0सी0

अनुदान संख्या-11

लेखाशीर्षक-2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं-00

001-निदेशन तथा प्रशासन

04-प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण-00

(धनराशि हजार में)

क्र0सं0	मानक मद/मानक कोड	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	01-वेतन	85000
2	02-मजदूरी	70000
3	03-महगांई भत्ता	47600
4	04-यात्रा व्यय	3500
5	06-अन्य भत्ते	9350
6	07-मानदेय	250
7	08-पारिश्रमिक	2200
8	09-चिकित्सा प्रतिपूर्ति	1
9	10-प्रशिक्षण व्यय	500
10	11-अनुमन्यता संबंधी व्यय	300
11	20-लेखन सामग्री एवं छपाई	600
12	21-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200
13	22-कार्यालय व्यय	800
14	23-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	400
15	24-विज्ञापन, बिक्री, विख्यापन एवं प्रकाशन पर व्यय	500
16	25-उपयोगिता बिलों का भुगतान	2000
17	26-कंप्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर एवं अनुरक्षण	2000
18	27-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	200
19	29-गाड़ियों का संचालन, अनुरक्षण एवं ईंधन आदि की खरीद	3000
20	30-आतिथ्य व्यय	150
21	40-मशीन उपकरण, सज्जा और संयंत्र	800
22	42-अन्य विभागीय व्यय	10000
23	46-वृक्षारोपण	1
24	51-अनुरक्षण	1500
25	52-लघु निर्माण	1500
	योग	242352

(धीरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव